भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 4030

उत्तर देने की तारीख: 17.03.2026

डीएनटी की आर्थिक सशक्तिकरण्

4030. श्री के. सुधाकरन:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों का आर्थिक सशक्तिकरण योजना (सीड) के प्रारंभ से लेकर अब तक प्राप्त, अनुमोदित और अस्वीकृत आवेदनों की संख्या का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सीड योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक इसके अंतर्गत आवंटित कुल बजट, जारी की गई और उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे समुदायों और उनके राज्यवार वितरण सहित किसी भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग सूचियों में न शामिल किए गए विमुक्त (डीएनटी), घुमंतू (एनटी) और अर्ध-घुमंतू समुदायों (एसएनटी) की पहचान की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ऐसे बहिष्कृत डीएनटी/एनटी/एसएनटी समुदायों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची के अंतर्गत या किसी पृथक संवैधानिक या सांविधिक श्रेणी के अंतर्गत शामिल करने या वर्गीकृत करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए डीएनटी के आर्थिक सशक्तिकरण योजना (सीड) के विभिन्न घटकों के तहत प्राप्त, अनुमोदित और अस्वीकृत आवेदनों की संख्या का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख): आबंटित कुल बजट और जारी/उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है-

क्र. सं.	वर्ष	आवंटित बजट	जारी /उपयोग की गई निधियां
1	2021-2022	-	-
2	2022-2023	-	-
3	2023-2024	15.00	15.00
4	2024-2025	39.40	35.16
5	2025-2026	61.56	26.13
	कुल	**115.96**	**76.29**

(ग): राष्ट्रीय विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजाति आयोग (एनसीडीएनटी) द्वारा यथा चिह्नित अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अथवा अन्य पिछड़े वर्गों में शामिल नहीं किए गए विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(घ): विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अनुलग्नक-I

"डीएनटी की आर्थिक सशक्तिकरण" के संबंध में श्री के. सुधाकरन द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 4030 जिसका उत्तर दिनांक 17.03.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

क. शैक्षिक सशक्तिकरण (नि:शुल्क कोचिंग) लाभार्थी

क्रम सं.	राज्य/घटक	शैक्षिक सशक्तिकरण (नि:शुल्क कोचिंग) लाभार्थी					
		2024-25			2025-26		
		प्राप्त हुए	अनुमोदित	अस्वीकार कर दिये गये	प्राप्त हुए	अनुमोदित	अस्वीकार कर दिये गये
1	आंध्र प्रदेश	18	0	30	142	0	142
2	गुजरात	164	58	106	1052	730	322
3	हरियाणा	8	0	8	36	0	36
4	मध्य प्रदेश	179	94	85	1787	860	927
5	महाराष्ट्र	370	212	158	2942	1823	1119
6	तमिलनाडु	248	163	85	1280	1069	211
7	राजस्थान	94	23	71	935	369	566
8	उत्तर प्रदेश	5	1	4	354	00	354
	कुल	1086	551	547	8528	4851	3677

ख. आजीविका (एसएचजी का गठन) लाभार्थी

क्रम सं.	राज्य/घटक	आजीविका लाभार्थी			
		2024-25		2025-26	
		प्राप्त हुए	अनुमोदित	प्राप्त हुए	अनुमोदित
1	आंध्र प्रदेश	1320	1320	330	330
2	गुजरात	4873	4873	6083	6083
3	हरियाणा	3300	3300	0	0
4	मध्य प्रदेश	2585	2585	8899	8899
5	महाराष्ट्र	2618	2618	6182	6182
6	तमिलनाडु	3168	3168	2332	2332
7	राजस्थान	5687	5687	5313	5313

8	उत्तर प्रदेश	3267	3267	5390	5390
	कुल	26818	26818	34529	34529

ग. स्वास्थ्य (आयुष्मान कार्ड तैयार करना) लाभार्थी

क्रम सं.	राज्य/घटक	स्वास्थ्य लाभार्थी			
		2024-25		2025-26	
		प्राप्त हुए	अनुमोदित	प्राप्त हुए	अनुमोदित
1	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0
2	गुजरात	0	0	2466	2466
3	हरियाणा	0	0	5306	5306
4	मध्य प्रदेश	0	0	3006	3006
5	महाराष्ट्र	14176	14176	28145	28145
6	तमिलनाडु	0	0	5111	5111
7	राजस्थान	0	0	13505	13505
8	उत्तर प्रदेश	0	0	5097	5097
	कुल	14176	14176	62636	62636

अनुलग्नक-II

"डीएनटी की आर्थिक सशक्तिकरण" के संबंध में श्री के. सुधाकरन द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 4030 जिसका उत्तर दिनांक 17.03.2026 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

राष्ट्रीय विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजाति आयोग (एनसीडीएनटी) द्वारा यथा चिह्नित अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अथवा अन्य पिछड़े वर्गों में शामिल नहीं किए गए विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू समुदायों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य	कुल
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0
2	आंध्र प्रदेश	28
3.	असम	1
4.	अरुणाचल प्रदेश	5
5.	बिहार	17
6.	चंडीगढ़	0
7.	छत्तीसगढ़	5
8.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1
9.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	4
10.	गोवा	0
11.	गुजरात	4
12.	हरियाणा	36
13.	हिमाचल प्रदेश	6
14.	जम्मू-कश्मीर	3
15.	झारखंड	7
16.	कर्नाटक	8
17.	केरल	3
18.	लक्षद्वीप	0
19.	मध्य प्रदेश	32
20.	महाराष्ट्र	2
21.	मणिपुर	0
22.	मेघालय	0
23.	मिजोरम	0
24.	नागालैंड	0
25.	ओडिशा	5
26.	पुदुच्चेरी	10
27.	पंजाब	10
28.	राजस्थान	14
29.	सिक्किम	3
30.	तमिलनाडु	11
31.	तेलंगाना	0
32.	त्रिपुरा	1

33.	उत्तर प्रदेश	39
34.	उत्तराखंड	8
35.	पश्चिम बंगाल	5
	कुल	**268**
